

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुडगांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

सेवा में,

श्रीमती गिरजा व्यास
अध्यक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग,
नई दिल्ली।

विषय: मैसर्ज फैशन एक्सप्रेस प्लाट न० 100 फेस-1 उद्योग विहार गुडगांव के मालिको एव प्रबन्धको द्वारा संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ किये जा रहे शोषण, अभद्र एवं अश्लील व्यवहार के संदर्भ में।

सादर एवं विन्नम निवेदन है:-

1. यह है कि उपरोक्त संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों की दुख भरी दास्तान हम आपके सम्मुख इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत कर रही है कि आप शीघ्र प्रभावी कार्यवाही अमल में लाकर हमें व हमारे बच्चों को भुखमरी के कगार से बचाने का प्रयास करेगी। क्योंकि संस्थान प्रबन्धक वर्ष 2005 से अब तक सभी कानूनों एवं मानवीय मुल्यों की सभी हदे तोड चुके है।
2. यह है कि प्रबन्धको द्वारा श्रमिकों के साथ हो रही ज्यादाती को रोकने के लिए संस्थान की पंजीकृत यूनियन ने सम्बन्धित विभागों के सम्मुख अनेक शिकायते भेज कर कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया लेकिन उपरोक्त प्रबन्धक प्रभावशाली होने के कारण, यूनियन द्वारा की गई सभी कार्यवाही निष्कृत

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्केट, नजदीक बस स्टैंड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

साबित हो चुकी है जिस कारण प्रबन्धकों का महिला श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों पर दमन चक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिस कारण अनेक श्रमिक व महिला श्रमिक विवश होकर अपनी नौकरी छोड़कर जा चुके हैं और अन्य शेष बचे श्रमिक व श्रमिकाओं को नौकरी छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है।

3. यह है कि संस्थान में कार्यरत सभी महिला श्रमिक व अन्य श्रमिक पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से अपनी पूरी निष्ठा एवं लगन ईमानदारी से कार्य करते आ रहे थे और प्रबन्धकों के शोषण का विरोध ना करने के कारण प्रबन्धकों को श्रमिकों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत व शिकवा ना था और मनमाने तरीके से संस्थान को चला रहे थे।

— यह कि प्रबन्धकों की उपरोक्त प्रक्रिया से परेशान व दुखी होकर संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों व महिला श्रमिकों ने संगठित होकर वर्ष 2005 में यूनियन का पंजीकरण कराने का प्रयास किया जिसको रोकने के लिए संस्थान प्रबन्धकों ने बार-बार अनेक बाधाएँ पैदा करके यूनियन को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया। काफी लम्बे अरसे के बाद जून 2006 में यूनियन का पंजीकरण हुआ जिसका पंजीकरण न. 1825 है।

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

5. यह है कि यूनियन के पंजीकरण के बाद संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों व श्रमिकों में राहत की सांस महसूस की और सोचा कि शायद यूनियन उनके लिए एक वरदान साबित होगी और प्रबन्धकों से मिल बैठकर संस्थान में हो रही ज्यादतियों से छुटकारा मिल सकेगा लेकिन बड़े ही दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि यूनियन का पंजीकरण उनके जीवन में वरदान की बजाय अभिशाप बन गया और प्रबन्धकों की ज्यादतियों में निरन्तर बढ़ोतरी होती जा रही है।

6. यह है कि यूनियन के पंजीकरण के उपरान्त प्रबन्धकों द्वारा की जा रही अनुचित, गैर कानूनी, अनैतिक एवं अमानवीय कार्यवाहियों की कुछ दुख भरी दस्तान आपके समुख प्रस्तुत की जा रही है:—

- यह है कि संस्थान प्रबन्धकों ने संस्थान में कार्यरत सभी महिला श्रमिकों एवं श्रमिकों को दीपावली का बोनस EXGratia राशी गैर कानूनी तौर पर अचानक देना बन्द करदी जबकि यह राशी सभी श्रमिकों को 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिवर्ष दिपावली के शुभ अवसर पर वितरीत की जा रही थी यूनियन द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।
- यह है कि संस्थान के मालिक महिला श्रमिकों के साथ अभद्र व अश्लील व्यवहार करने के आदि थे यूनियन पंजीकरण के बाद

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुडगांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

महिला श्रमिकों ने मालिकों के उपरोक्त व्यवहार पर आपत्ति जताई तो मालिकों ने अनेक महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया और जिसका वर्णन करने में भी शर्म भी महसूस हो रही है।

- यह है कि प्रबन्धकों के उपरोक्त आचरण से दुखी होकर 2 महिला श्रमिकों ने इशतगासा जिला न्यायलय गुडगांव में दायर किया और जिस पर नोटिस भी हो चुके हैं। परन्तु संस्थान मालिकों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दबाव डालकर सुमन का चुकता हिसाब कर दिया है तथा दुसरी महिला श्रमिक श्रीमती वीना देवी को भी त्याग पत्र लिखने व इशतगाशा वापिस लेने के लिए विवश किया जा रहा है ताकि प्रबन्धक अपने आपको कानून की गिरफ्त से बचा सके। इसी कारण संस्थान मालिकों व प्रबन्धकों की बढ़ती बदतमीजी के कारण कई महिलाओ ने अपना हिसाब ले लिया। कई महिला श्रमिक समाज में बदनामी के डर की वजह से कानूनी कार्यवाही कर पाने में असमर्थ है।

- यह है कि प्रबन्धकों ने संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों व श्रमिकों को सालाना तरक्की देना भी बन्द कर दिया है। जब की इससे पूर्व यह तरक्की प्रति वर्ष जनवरी माह में सभी को दे दी जाती थी।

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

- यह है कि मई दिवस संस्थान में प्रतिवर्ष छुट्टी दिवस होता था परन्तु इस बार मई दिवस पर छुट्टी होने के बाबजूद सभी श्रमिकों व श्रमिकाओं का तीन दिन का वेतन गैरकानूनी तौर पर प्रबन्धकों ने काट लिया है।
- यह है कि प्रबन्धक वर्ष 2005 से पूर्व 7 त्यौहार की छुट्टियाँ देते थे – जिन्हें घटाकर 2005 में 6 कर दिया और वर्तमान वर्ष में यह छुट्टियाँ घटाकर 5 कर दी गई है।
- यह है कि संस्थान में पेशाब-पानी की कोई उचित व्यवस्था ना है केवल एक नल लगा हुआ है पानी की टंकी में सफाई ना होने के कारण कई बार कीड़े का पानी पीने को विवश होना पडता है और टायलेट की उचित व्यवस्था नहीं है और जो है। उनकी सफाई व रख रखाव ना होने के कारण बुरी हालात में है। क्योंकि उनकी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- यह कि संस्थान प्रबन्धकों ने महिला श्रमिकों को तंग व परेशान करने की नियत से उनके कार्य स्थल से स्टूल हटा लिए जिस कारण महिला श्रमिकों को लगातार 9 घण्टे खड़े होकर कार्य करना पड रहा है – और जिससे संस्थान में कार्यरत दो महिला श्रमिकों को अति दुखद परिस्थितियों का सामना करना पडा तथा एक गर्भवती महिला श्रमिक श्रीमति देवा देवी कार्य स्थल

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

पर गिर पडी और गर्भ खराब होने के साथ-साथ उसको अपने जीवन से हाथ भी धोना पडा।

- संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ अश्लील हरकतें तथा अभद्र व्यवहार करना—जिसके विरुद्ध दो महिला श्रमिकों ने पुलिस में भी शिकायत की परन्तु पुलिस द्वारा प्रभावशाली मालिको के विरुद्ध कोई कार्यवाही ना किए जाने के कारण उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पडा। माननीय न्यायालय ने महिला श्रमिको की बातों व दलीलो को सुनकर संस्थान के मालिक तेजप्रताप ममिक व गौरव ममिक के विरुद्ध सम्मन जारी किए तथा दिनांक 22.11.2006 को जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्हें 1 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेजा और क्योंकि दिनांक 22.11.2006 को यूनियन पदाधिकारी महिला श्रमिको की सहायता के लिए उनके साथ अदालत में आए थे—इसलिए संस्थान मलिको ने बदले की भावना से उन्हें 24.11.2006 को सेवा समाप्ति आदेश देकर उनकी सेवाएं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए समाप्त कर दी।

चारों यूनियन पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार है:—

- सर्व श्री सतबीर सिंह — प्रधान 2. बाबुलाल 3. आनन्द कुमार
4. श्री श्याम दत्त

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

— यह कि संस्थान मालिक कम्पनी अधिकारियों व गुण्डों की सहायता से महिला श्रमिक बीना देवी क घर जाकर व कम्पनी में अपने आफिस बुलाकर लगातार अपना इस्तगासा वापिस लेने के लिए तथा अपना हिसाब लेने के लिए दबाव डाल रहे है तथा गवाह सोमवती व रविन्द्र को लगातार प्रताडित कर रहे है तथा किसी भी पल उनकी नौकरी समाप्त की जा सकती है— जिसके कारण संस्थान मे कार्यरत श्रमिको में भय तथा आंतक का माहौल व्याप्त है।

संस्थान में पहले ध्वनि रहित वाताकरण था परन्तु महिला श्रमिकों व श्रमिकों को परेशान करने के लिए ध्वनि युक्त मशीने रखवा दी गई है।

यह है कि महिला टायलेट में भी केमरा रखा गया था जिसके बाद में विरोध के कारण हटाया गया।

यह है कि वर्ष 2005—2006 की बोनस। EXGratia राशी भेदभाव पूर्ण तरीके से विपरित की गई और वर्ष 2004—2005 की उपरोक्त राशी अभी तक वितरीत नही की गई है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त विवरण और हालात को ध्यान में रखते हुए आप तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की कृप्या करें। ताकि संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिक/ व

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं०

दिनांक :

श्रमिक दहशत भय व आंतक के वातावरण से निकलकर शांति
पूर्ण माहौल में अपना कार्य कर सके।

धन्यवाद

आपकी अति कृपा होगी
निवेदक

सत्यजीव सिन्हा

प्रधान

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन
गुड़गांव

महासचिव

फैशन एक्सप्रेस कर्मचारी संगठन
कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट
माता रोड़, गुड़गांव